भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4649
21 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सहायता

4649. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत वर्तमान में जुलाई 2025 तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सहायता प्राप्त करने वाले सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की जिलावार संख्या कितनी है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए उक्त आंकड़े योजना की अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कैसे हैं;
(ख) उक्त योजना में ओबीसी/एससी/एसटी के स्वामित्व वाले सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्कण उद्यमों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या उक्त योजना की उपरोक्त राज्यों के विभिन्न जिलों में कार्यान्वयन और उपयोग में काफी भिन्नताएं हैं;
(घ) यदि हां, तो पिछड़ रहे जिलों के नाम क्या है और उक्त असमानताओं को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;
(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत उपरोक्त राज्यों में "एक जिला एक उत्पाद" (ओडीओपी) दृष्टिकोण को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है; और
(च) उपरोक्त राज्यों में उक्त योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अब तक कितने रोजगार सृजित होने का अनुमान है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): जुलाई 2025 तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत ऋण से जुड़ी सब्सिडी के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को स्वीकृत ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	राज्य	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण
1	मध्य प्रदेश	11,597	10,158
2	महाराष्ट्र	22,234	24,815
3	उत्तर प्रदेश	31,335	18,439

जिलावार विवरण **अनुबंध** में है ।

(ख): 31 जुलाई 2025 तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए स्वीकृत ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	राज्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	मध्य प्रदेश	861	1350	5267
2	महाराष्ट्र	2136	1460	9178
3	उत्तर प्रदेश	1410	39	10836

(ग) और (घ): यह योजना मांग आधारित है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। मंत्रालय द्वारा निधियों और लक्ष्यों का कोई ज़िलावार आवंटन नहीं किया जाता है। निधियों का उपयोग पूरी तरह से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निष्पादन और पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों की संख्या पर निर्भर करता है। हालाँकि, इस योजना के अंतर्गत संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी ज़िलों को शामिल करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, ऋणदाता बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ङ): पीएमएफएमई योजना मुख्य रूप से एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है ताकि इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में स्केल का लाभ उठाया जा सके। ओडीओपी को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों, महाराष्ट्र के 36 जिलों और मध्य प्रदेश के 52 जिलों के लिए अनुमोदित किया गया है।

(च): 31 जुलाई 2025 तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में पीएमएफएमई योजना के तहत क्रमशः 53,454, 73,140 और 29,730 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4649 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31जुलाई , 2025 तक पीएमएफएमई योजना के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए स्वीकृत जिलावार ऋणों का विवरण

मध्य प्रदेश		
क्र.सं.	**ज़िला**	**स्वीकृत ऋण (संख्या)**
1.	आगर मालवा	129
2.	अलीराजपुर	164
3.	अनूपपुर	99
4.	अशोकनगर	151
5.	बालाघाट	209
6.	बड़वानी	333
7.	बेतुल	286
8.	भिंड	300
9.	भोपाल	262
10.	बुरहानपुर	322
11।	छतरपुर	96
12.	छिंदवाड़ा	275
13.	दमोह	282
14.	दतिया	160
15.	देवास	160
16.	धार	288
17.	डिंडोरी	131
18.	पूर्वी निमाड़	310
19.	गुना	173
20.	ग्वालियर	481
21.	हरदा	103
22.	होशंगाबाद	131
23.	इंदौर	236
24.	जबलपुर	124
25.	झाबुआ	150
26.	कटनी	90
27.	खरगोन	432
28.	मंडला	112
29.	मन्दसौर	328
30.	मुरैना	208
31.	नरसिंहपुर	476
32.	नीमच	180
33.	निवाड़ी	61
34.	पन्ना	188
35.	रायसेन	79
36.	राजगढ़	204
37.	रतलाम	218
38.	रीवा	176
39.	सागर	202
40.	सतना	135

41.	सीहोर	246
42.	सिवनी	124
43.	शाहडोल	81
44.	शाजापुर	155
45.	श्योपुर	97
46.	शिवपुरी	282
47.	सीधी	68
48.	सिंगरौली	130
49.	टीकमगढ़	94
50.	उज्जैन	230
51.	उमरिया	33
52.	विदिशा	174
	कुल	**10158**

महाराष्ट्र		
क्र.सं.	**ज़िला**	**स्वीकृत ऋण (संख्या)**
1	अहमदनगर	1516
2	अकोला	460
3	अमरावती	973
4	बीड	150
5	भंडारा	364
6	बुलढाना	993
7	चंद्रपुर	756
8	छत्रपति संभाजीनगर	2007
9	धाराशिव	452
10	धुले	560
11	गडचिरोली	308
12	गोंदिया	691
13	हिंगोली	221
14	जलगांव	1003
15	जलना	594
16	कोल्हापुर	1078
17	लातूर	377
18	मुंबई	7
19	मुंबई उपनगरीय	47
20	नागपुर	775
21	नांदेड़	376
22	नंदुरबार	532
23	नासिक	1296
24	पालघर	326
25	परभनी	323
26	पुणे	1237
27	रायगढ़	270
28	रत्नागिरि	420
29	सांगली	1355
30	सतारा	1016
31	सिंधुदुर्ग	633
32	सोलापुर	1054
33	ठाणे	378
34	वर्धा	912

35	वाशिम	508
36	यवतमाल	847
	कुल	**24815**

उत्तर प्रदेश		
क्र.सं.	**ज़िला**	**स्वीकृत ऋण (संख्या)**
1.	आगरा	86
2.	अलीगढ़	129
3.	अंबेडकर नगर	472
4.	अमेठी	502
5.	अमरोहा	134
6.	औरैया	210
7.	अयोध्या	395
8.	आजमगढ़	334
9.	बागपत	53
10.	बहराइच	183
11।	बलिया	439
12.	बलरामपुर	132
13.	बाँदा	182
14.	बाराबंकी	371
15.	बरेली	355
16.	बस्ती	338
17.	भदोही	423
18.	बिजनौर	240
19.	बदायूं	55
20.	बुलंदशहर	75
21.	चंदौली	292
22.	चित्रकूट	106
23.	देवरिया	127
24.	एटा	80
25.	इटावा	127
26.	फर्रुखाबाद	95
27.	फतेहपुर	576
28.	फिरोजाबाद	67
29.	गौतम बुद्ध नगर	48
30.	गाजियाबाद	102
31.	गाजीपुर	458
32.	गोंडा	336
33.	गोरखपुर	414
34.	हमीरपुर	100
35.	हापुड़	53
36.	हरदोई	388
37.	हाथरस	46
38.	जालौन	120
39.	जौनपुर	328
40.	झांसी	179
41.	कन्नौज	153
42.	कानपुर देहात	320

43.	कानपुर नगर	555
44.	कासगंज	77
45.	कौशाम्बी	317
46.	खेरी	315
47.	कुशीनगर	265
48.	ललितपुर	227
49.	लखनऊ	214
50.	महाराजगंज	161
51.	महोबा	143
52.	मैनपुरी	145
53.	मथुरा	103
54.	मऊ	259
55.	मेरठ	58
56.	मिर्जापुर	479
57.	मुरादाबाद	129
58.	मुजफ्फरनगर	49
59.	पीलीभीत	162
60.	प्रतापगढ़	352
61.	प्रयागराज	793
62.	रायबरेली	481
63.	रामपुर	54
64.	सहारनपुर	61
65.	संभल	134
66.	संत कबीर नगर	346
67.	शाहजहांपुर	250
68.	शामली	38
69.	श्रावस्ती	56
70.	सिद्धार्थ नगर	513
71.	सीतापुर	178
72.	सोनभद्र	323
73.	सुल्तानपुर	685
74.	उन्नाव	425
75.	वाराणसी	469
	कुल	**18439**

*****